

5. एफ. ए. आर. तथा भवन की अधिकतम ऊंचाई 12.00 मीटर ।
6. एम.ओ. एस. निम्नानुसार है :-
 सामने - 3.00 मीटर पीछे - 2.50 मीटर आजू - 1.50 मीटर
 हेतु भूमि छोड़ना आवश्यक होगा ।
7. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
8. विद्युत लाइन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा ।
9. म0 प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग / रुफवाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी ।
10. किसी भी प्रकार की भूमि वाद-विवाद होने पर यह स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
11. इस अनुज्ञा को भू - स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
12. यह अधिमत अहस्तांतरणीय होगी तथा यह अनुज्ञाप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होगा ।
13. प्रश्नाधीन भूमि / भूखण्ड पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें एवं भवन अनुज्ञा / अनुमति नगर पालिका रायसेन से प्राप्त की जाना होगा ।
14. उपरोक्त किसी भी शर्तों का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी ।

पृष्ठ कं. / 284/285 / विअ/नग्रानि/10

Deputy
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा
विदिशा दिनांक 26/2/04

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी , रायसेन की और कृपया सूचनार्थ ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Deputy
सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय विदिशा